


आदेश से रीडर

1/10/19

फावली पैरा हुआ. कमीन वार्डो
 उपान्वित। कमीन वार्डो ने वापस को हिदायत
 पैरवी नहीं लेना रेफरिड सिद्ध। अतः कमीन
 वार्डो की हिदायत पैरवी नहीं होने के
 कारण वार्डो का वापस हिदायत पैरवी
 के अन्तर्गत में खरीज सिद्ध अतः ही
 फावली फॉर्मल सुधार की जाकर पायीक
 प्रकृत हो


 सहायक कलक्टर
 गीलवाड़ा

No. instructions
